न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 12, आगरा

उपस्थितः प्रभाकर राव ,          एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 610/2012

राज्य ————————————अभियोजन

**बनाम**

गोपाल पुत्र श्री महावीर निवासी पुरामना थाना—अछनेरा जिला आगरा

————————————अभियुक्त

धारा— 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता
थाना—अछनेरा, जिला आगरा
मु0अ0सं0—317/2012

निर्णय

अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध पुलिस थाना अछनेरा, जिला आगरा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 317/2012, धारा 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, आगरा द्वारा विचारण हेतु संज्ञान लेते हुए प्रस्तुत प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा तेज सिंह पुत्र गुहीराम निवासी उन्देरा थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा ने थाना अछेनरा जिला आगरा पर दिनांक—28.04.2012 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दी कि उसने अपनी पुत्रियों कमलेश व विमलेश का विवाह आठ वर्ष पूर्व क्रमशः रूप किशोर व गोपाल पुत्रगण महावीर निवासी पुरामना थाना अछनेरा के साथ सम्पन्न किया था तथा शादी में करीब 6 लाख रूपया खर्च किया लेकिन उसकी पुत्रियों के ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे और बात—बात पर उसकी पुत्रियों को मारते—पीटते व दहेज में दो भैंस व पचास हजार रूपया नकद लाने के लिए मारपीट करते थे जिसमें कई बार रिश्तेदारों के सहयोग से समझौता भी किया लेकिन ये लोग दहेज के लालची होने के कारण इन लोगों ने किसी भी समझौते को नहीं माना। दिनांक 23.04.2012 को उसकी (वादी मुकदमा) की छोटी बेटी विमलेश जब रसोई में चाय बना रही थी तो उसके पति एवं सास ससुर ने दहेज में उक्त सामान लाने के लिए पुनः ताने देने लगे जिसने मारपीट का रूप ले लिया। उसकी पुत्री की सास चन्द्रवती एवं ससुर महावीर ने कहा कि आज उसका (वादी की पुत्री) किस्सा खत्म किये देते हैं तथा हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे और उसकी बेटी विमलेश को उसका पति गोपाल मारने पीटने लगा और जब उसकी पुत्री जान बचाकर भागी तो गोपाल ने कट्टे से गोली मार दी। जैसे ही उसे (वादी मुकदमा) सूचना मिली तो वह अपनी

पुत्री को गम्भीर हालत में एस.आर.अस्पताल, आगरा में उपचार के लिए लाया जिसका अभी भी इलाज अस्पताल में हो रह है तथा हालत गम्भीर है। याचना की है कि रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जाये। वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना अछनेरा जिला आगरा में अभियुक्तगण गोपाल (पति), महावीर (ससुर), चन्द्रवती (सास) एवं रूप किशोर (जेठ) के विरूद्ध मु0अ0सं0 317/2012, अंतर्गत धारा 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–5 दर्ज की गयी तथा इसका खुलासा नकल रपट संख्या 37 समय 18.30 बजे प्रदर्श क–6 में किया गया। घटना की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक सीताराम सरोज को सौंपी गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना चुटैल विमलेश का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श क–3 प्राप्त किया तथा वादी मुकदमा की निशांदेही पर नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 तैयार किया गया। तदोपरान्त विवेचक द्वारा द्वारा मामले में सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने के उपरान्त अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध धारा 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क 7 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, आगरा के द्वारा संज्ञान लिया गया। अभियुक्त गोपाल का मामला सत्र परीक्षणीय पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, आगरा द्वारा मामले को सत्र सुपुर्द किया गया जहॉ से पत्रावली स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुई।

अभियुक्त गोपाल न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2012 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी सं0 1 तेज सिंह वादी मुकदमा, अभियोजन साक्षी सं0 2 श्रीमती विमलेश चुटैल, अभियोजन साक्षी सं0 3 श्रीमती कमलेश, अभियोजन साक्षी सं0 4 प्रवेन्द्र, अभियोजन साक्षी सं0 5 डा0 एस.एन. गुप्ता, अभियोजन साक्षी सं0 6 डा0 ओ. पी. बंसल, अभियोजन साक्षी सं0 7 उप निरीक्षक सीताराम सरोज, अभियोजन साक्षी सं0 8 का0क्लर्क त्रिभुवन सिंह, अभियोजन साक्षी सं0 9 उप निरीक्षक रक्षपाल नाथ को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 तहरीर वादी मुकदमा, प्रदर्श क–2 चिकित्सीय आख्या चुटैल श्रीमती विमलेश, प्रदर्श क–3 बी.एस.टी. चुटैल विमलेश, प्रदर्श क–4 नक्शा नजरी, प्रदर्श क–5 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–6 नकल रपट 37 समय 18.30 बजे, प्रदर्श क–7 आरोप पत्र विरूद्ध गोपाल दाखिल किये गये।

अभियोजन की ओर से अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अभियुक्त गोपाल का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कथन किया है कि वह निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे रंजिश के कारण झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने यह भी कथन किया है कि घटना के समय वह एलएल.बी. प्रथम वर्ष का छात्र था तथा वह आगरा कॉलेज पढ़ने आया था। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देना कहा गया।

बचाव में अभियुक्त गोपाल की ओर से डी.डब्लू. 1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया है। बचाव में अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी । पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन की ओर से मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) ने कथन किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी सं0 1 तेज सिंह, वादी मुकदमा, अभियोजन साक्षी सं0 2 श्रीमती विमलेश चुटैल/पीड़िता, अभियोजन साक्षी सं0 3 श्रीमती कमलेश, अभियोजन साक्षी सं0 4 प्रवेन्द्र के साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य साबित है कि चुटैल श्रीमती विमलेश की शादी के उपरान्त से दिनांक 23 अप्रैल, 2012 तक भिन्न–भिन्न समय पर अभियुक्त गोपाल ने अपने अन्य परिवारीजनों के साथ मिलकर पीड़िता/चुटैल श्रीमती विमलेश से अतिरिक्त दहेज में भैंस तथा पचास हजार रूपये की मांग की और उसकी पूर्ति न होने पर पीड़िता श्रीमती विमलेश को जान से मारने की नीयत से अभियुक्त गोपाल ने अपनी पत्नी/पीडिता श्रीमती विमलेश को कट्टे से गोली मार कर उसे गम्भीर उपहति कारित की। अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या 5 लगायत अभियोजन साक्षी संख्या 9 के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दिया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध धारा 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य साबित है। अतः याचना की है कि अभियुक्त

को उक्त अपराध में दोषसिद्ध किया जाये।

अभियुक्त की ओर से मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच दिन बाद विलम्ब से विधिक राय लेकर दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा ने झूंठे तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा लिखाया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत 4 परिवारीजन हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। चूंकि उक्त साक्षीगण परस्पर हितवद्ध साक्षी हैं तथा उनकी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है जिसके कारण अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। याचना की है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाये।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध धारा 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है।

अभियोजन की ओर से अपने केस को साबित करने हेतु अभियोजन साक्षी सं0 1 के रूप में वादी मुकदमा तेज सिहं को परीक्षित कराया गया है, जो कि चुटैल का पिता है। इस साक्षी ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे तीन पुत्रियां हैं। उनमें से दो पुत्रियां कमलेश एवं विमलेश क्रमशः रूप किशोर एवं गोपाल निवासी पुरामना थाना अछनेरा आगरा के साथ ब्याही हैं। जब मेरी दोनों पुत्रियां कमलेश एवं विमलेश अपनी ससुराल में गयीं तो उनके ससुरालीजन विमलेश का पति गोपाल हाजिर अदालत, बड़ी लड़की कमलेश का पति रूप किशोर, लडकियों का ससुर महावीर एवं सास श्रीमती चन्द्रवती मेरी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और अतिरिक्त दहेज के रूप में एक भैंस व पचास हजार रूपये की मांग करते हैं। इसी वजह से मेरी लड़कियों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करते है। मैं कई बार अकेला एवं अन्य लोगों को लेकर अपनी पुत्रियों की ससुराल उक्त लोगों को समझाने गया हूॅ। कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और फिर वही उत्पीडन करते हैं।

दिनांक 23.04.2012 की बात है विमलेश अपनी ससुराल में रसोई में चाय बना रही थी तो उसके पति ने उससे कहा कि तू अपने मायके से रूपये व भैंस नहीं लायेगी और मारपीट शुरू कर दी और ससुर ने कहा कि इसका किस्सा खत्म कर दे, तेरी दूसरी शादी कर देंगे। गोपाल ने मेरी लड़की विमलेश के अपने पिता महावीर व मॉ चन्द्रवती के कहने पर तमन्चे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।

फायर मेरी लड़की के पीठ पर लगा जिसके कारण उसके चोटें आयीं तथा मेरे पास फोन आया तो मैं मौके पर गया तथा मौके पर बहुत आदमी मौजूद थे। तब मैं लड़की को एस.आर. हॉस्पीटल, आगरा लेकर आया। उसका इलाज कराया और उसका जिला अस्पताल, आगरा में डाक्टरी मुआयना कराया। इस समय मेरी दोनों लड़कियां मेरे घर पर हैं। इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि मैं इस घटना की रिपोर्ट कराने दिनांक 28.04.2012 को थाना अछनेरा गया। वहां तहरीरी रिपोर्ट दी। मैंने अपनी तहरीरी रिपोर्ट अपने भतीजे महेश से बोलकर लिखवाई थी। महेश ने मुझे तहरीर पढ़कर सुना दी थी। उसके बाद मैंने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर से थाने पर दी थी। इस साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध तहरी को देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो थाने पर दी थी। साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। इस घटना के संबंध में मेरा दरोगा जी ने बयान लिया था। घटना के बाद मेरी दूसरी लड़की कमलेश को भी उपरोक्त मुल्जिमान ने मारपीट कर भगा दिया है जो इस समय मेरे साथ रह रही है।

अभियोजन साक्षी सं0 2 श्रीमती विमलेश जो कि इस घटना में चुटैल/पीडिता है, ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा दिनांकित 09.11.2012 में सशपथ कथन किया है कि मेरी एवं मेरी बहन कमलेश की शादी आज से करीब 8 वर्ष पूर्व मेरी शादी गोपाल के साथ तथा बहन कमलेश की शादी रूपकिशोर के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरी ससुराल में पति गोपाल, ससुर महावीर, सास चन्द्रवती, जेठ रूपकिशोर सही नहीं रखते थे। मेरे साथ मारपीट करते थे और कहते थे कि दो भैंस और पचास हजार रूपये नहीं लाई है और इसी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मेरे व मेरी बहन के साथ मारपीट करते थे। मैं जब मायके आती थी तब मैंने अपने मां बाप को ससुरालीजनों द्वारा की जा रही दहेज की मांग के बारे में बताया था, तब मेरे पिताजी व जिसने हमारी शादी कराई थी व अन्य लोग समझााने गये थे। समझाने पर ससुरालीजन नहीं माने। छः माह पहले की बात है, मैं अपनी ससुराल में रसोई में चाय बना रही थी तब गोपाल, महावीर, चन्द्रवती व रूपकिशोर मुझसे लड़ने लगे और कहने लगे कि भैंस ला और पचास हजार रूपये ला और ये लोग मारपीट करने लगे। गोपाल रसोई घर से मुझे मारपीट करते बाहर लेकर आये। सास ससुर ने कहा कि यह इस तरह नहीं मानेगी। हमारा तेरा दूसरा विवाह कर देंगे, तू इसे मार दे। मैं भागी तभी गोपाल ने तमन्चा से मेरे ऊपर फायर कर दिया। फायर मेरी पीठ पर लगा और मैं गिर गयी तथा मैं बेहोश हो गयी। मुझे जब होश आया तब मैं एस.आर. अस्पताल में भर्ती थी। मेरे पिताजी, मॉ व भाई मेरा इलाज करा रहे थे। होश आने

पर मैंने अपने पिताजी, मॉ व भाईयों को इस घटना के बारे में बताया था। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिताजी ने थाना अछनेरा में कराई थी। मैं इस समय अपने मायके रह रही हूॅ। इस घटना में मेरे चोटें आयीं थी। चोटों का मुआयना जिला अस्पताल, आगरा में हुआ था व इलाज एस.आर. हॉस्पीटल, आगरा में चला था।

अभियोजन साक्षी सं0 3 कमलेश ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा दिनांकित 09.01.2013 में सशपथ  कथन किया है कि मेरी शादी रूप किशोर के साथ हुई थी तथा मेरे साथ में ही मेरी बहन विमलेश की शादी मेरे देवर गोपाल के साथ हुई थी। हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी। महावीर एवं चन्द्रवती मेरे ससुर सास हैं, रूप किशोर मेरे पति हैं तथा गोपाल मेरे देवर हैं। शादी के बाद ससुराल में उपरोक्त लोग मुझे व मेरी बहन विमलेश को तंग व परेशान करते थे। हम दोनों बहनों के साथ मारपीट करते थे और अतिरिक्त दहेज में भैंस व पचार हजार रूपये लाने की मॉग करते थे। कई बार मेरे पिता एवं अन्य लोग ससुरालीजनों को समझाने गये थे। पिताजी जब जाते थे तब चुप हो जाते थे, बाद में फिर परेशान करते थे। आज से करीब 8 माह पहले की बात है, मेरी छोटी बहन विमलेश रसोई में चाय बना रही थी, मैं उस समय बाथरूम में थी। गोपाल विमलेश के साथ मेारपीअ करने लगा। गोपाल मेरी छोटी बहन विमलेश के साथ इसलिए मारपीट करने लगा कि अपने मायके से रूपये लेकर आया और भैंस लेकर आ। बाथरूम का दरवाजा खुला था। मैं वहीं से देख रही थी। सास ससुर गोपाल से कहने लगे कि आज इसका किस्सा खत्म कर दे, हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे। विमलेश पिटती हुई भागी तो गोपाल ने विमलेश को गोली मार दी। मौके पर गॉव के लोग आ गये थे। गॉव के किसी व्यक्ति ने मेरे पिताजी को फोन कर दिया और हमारी ससुराल में आ गये थे। पिताजी विमलेश को इलाज हेतु अस्पताल ले  आये थे। मैं ससुराल में उस समय रह रही थी।

अभियोजन साक्षी संख्या 4 प्रवेन्द्र ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा दिनांकित 26.02.2013 में सशपथ कथन किया है कि श्रीमती कमलेश एवं विमलेश मेरी बहनें हैं। कमलेश मुझसे बड़ी है तथा विमलेश मुझसे छोटी है। आज से करीब साढ़े आठ वर्ष पूर्व कमलेश की शादी रूप किशोर के साथ तथा विमलेश की शादी हाजिर अदालत गोपाल के साथ हुई थी। दोनों बहनों की शादी में मेरे पिताजी ने करीब 5–6 लाख रूपये खर्च किये थे। मेरी बहनें जब अपनी ससुराल में रहीं तो उनके ससुरालीजन रूपकिशोर, गोपाल, ससुर महावीर एवं सास चन्द्रवती देवी खुश नहीं थे। उक्त ससुरालीजन मेरी बहनों के साथ मारपीट करते थे और कहते थे कि पचास

हजार रूपये लाओ। दोनों भाइयों के लिए दो भैंस दो। मेरी बहनें घर आती थीं तो मुझे, मेरे माता पिता व परिवारीजनों को बताती थीं। हम अपनी बहनों की ससुराल बिचौलिया श्याम लाल व विजेन्द्र सिंह को भी लेकर गये थे। ससुराल वालों को समझाया तो मेरी बहनों के ससुरालीजन कहते थे कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर मारना पीटना शुरू कर देते थे। इस केस की घटना 24.04.2012 के सुबह 8.00 बजे की है। हम घर पर थे। किसी का फोन आया था कि तुम्हारी छोटी लड़की विमलेश को किसी ने गोली मार दी है। इस सूचना पर मैं, मेरे पिताजी व अन्य परिवारीजन बहनों की ससुराल गये, वहॉ लड़की विमलेश को लहुलुहान हालत में देखा। वहॉ से जीप की और रूप किशोर को साथ लेकर एस.आर. हॉस्पीटल आगरा में भर्ती कराया, वहॉ सरकारी डाक्टर आया, लिखापढ़ी की और रूप किशोर के हस्ताक्षर कराये। उसके बाद एक दिन बाद लड़की को होश आया। उसने हमें घटना के बारे में जानकारी दी कि गोपाल ने मुझे ऐसे–ऐसे मारा पीटा है। मैं चाय बना रही थी, सास ससुर घर में थे। गाली गलौज शुरू कर दी और कहा कि तू अभी तक न तो पचास हजार रूपये लेकर आयी और न ही भैंस लेकर आयी। इतने में सास ससुर ने कहा कि तू इसका काम खत्म कर दे, हम तेरी शादी दूसरी जगह करा देंगे, इतने में गोपाल ने पीछे से कट्टे से फायर कर दिया। फायर मेरी बहन विमलेश के पीछे कंधे पर लगा था जिसके कारण वह चुटैल हो गयी थी। उसका इलाज एस.आर. हॉस्पीटल, आगरा में चला था। कुछ दिन बाद मेरी दूसरी बहन को भी मारपीट कर ससुराल वालों ने हमारे यहां भगा दिया। मेरी बहन विमलेश को गोली मारने वाली घटना दिनांक 23.04.2012 सुबह 8.00 बजे की है। दिनांक 23.04.2012 को ही मेरे पिताजी को अज्ञात व्यक्ति ने घटना की सूचना दी थी।

अभियोजन साक्षी संख्या 5 डा0 एस.एन.गुप्ता ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.04.2012 को मैं एसस.आर. हॉस्पीटल नामनेर पर मेडिकोलीगल कार्य हेतु नियुक्त था। उस दिन मैंने दोपहर 1.20 बजे श्रीमती विमलेश, 25 वर्ष पत्नी गोपाल निवासी पुरामना किरावली थाना अछनेरा, आगरा के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया। इनको लेकर रूप सिंह पुत्र महावीर सिंह लाये थे। चुटैल के शरीर पर निम्न चोटें पाई गयी थीं:–

1. फटा हुआ घाव 3 से.मी. X 2 से.मी. सीधे कंधे पर बाहर की तरफ किनारे अंदर की तरफ धंसे हुए थे। झुलसन मौजूद थी। खून बह रहा था। घाव के चारों तरफ 25 से.मी. X 10 से.मी. एरिया में भी गन पाउडर के निशान थे। गोली के घुसने से आई चोट की संभावना पर एक्सरे की सलाह दी गयी।

मरीज को एस.आर. हॉस्पीटल में भर्ती किया गया। हालत गम्भीर थी। मरीज होश में था। मरीज का रक्त चाप 110/80, नाड़ी 110 प्रति सेकेण्ड थी। पुलिस को मृत्यु पूर्व बयान लेने की सलाह दी। चोट को निगरानी में रखा गया, चोट ताजा थी तथा किसी आग्नेयास्त्र से आना संभव थी। उपरोक्त रिपोर्ट वरवक्त मुआयना तैयार की गयी जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा इस पर चुटैल का निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या की छाया प्रति जो मेरे द्वारा तैयार की गयी, असल रिपोर्ट से करायी गयी है। मैं मेडिकोलीगल रजिस्टर अपने साथ लाया हूँ जो उसके अनुसार सही है। साक्षी ने चिकित्सीय रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 6 डा0 ओ.पी.बंसल ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं एसस.आर. मेडीकल रिसर्च सेण्टर, नामनेर आगरा में कन्सल्टेन्ट सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। मरीज विमलेश दिनांक 23.04.2012 को सवा 12बजे दोपहर भर्ती हुई थी। मेरी देखरेख में इस मरीज का उपचार हुआ था। मरीज का चिकित्सीय परीक्षण डा0 एस.एन.गुप्ता द्वारा किया गया था। मेरे द्वारा विमलेश का दिनांक 23.04.2012 को 2 बजे दिन ऑपरेशन किया गया था व ऑपरेशन करते वक्त मरीज के राइट अपर चेस्ट से एक फोरेन बॉडी (मैटेलिक) निकाली व इसका इलाज किया गया तथा दिनांक 30.04.2012 को दिन 2 बजे संतोषजनक स्थिति में छुट्टी दी गयी। पीड़िता विमलेश के अस्पताल में भर्ती होने से ही उसकी बी.एच.टी. तैयार की गयी थी जो उसकी छुट्टी होने तक की है। मैं उसे अपने साथ लाया हूँ जो पत्रावली पर दाखिल है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। विमलेश के ऑपरेशन के दौरान मेरे द्वारा फोरेन बॉडी (मैटेलिक) निकाली गयी। माल बण्डल खोला गया जिसमें एक कॉच की शीशी के अंदर से एक मैटेलिक फोरेन बॉडी निकली। यह वही फोरेन बॉडी (मैटेलिक ) निकली है जो विमलेश के ऑपरेशन करते वक्त उसके शरीर से निकाली थी और इस फोरेन बॉडी (मैटेलिक) को किसी कॉच की शीशी में रखकर कपड़े में सिलवाकर सर्वे मोहर करवाया था। यह काम मैंने अपने असिसटेण्ट जे.के. सिंह से कराया था, उस पर मेरे असिसटेण्ट ने अपने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने फोरेन बॉडी (मैटेलिक) को वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में , शीशी को वस्तु प्रदर्श–2 एवं माल बण्डल कपड़े को वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 7 उपनिरीक्षक सीताराम सरोज ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 29.04.2012 को मैं थाना अछनेरा

अंतर्गत चौकी किरावली पर चौकी इन्चार्ज के रूप में तैनात था। उस दिन मुझे इस मुकदमे की विवेचना प्राप्त हुई थी। मैंने विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उस दिन नकल तहरीर वादी, नकल मुकदमा कायमी जी.डी.अंकित की। का0 क्लर्क त्रिभुवन सिंह के बयान लिये तथा पीड़िता के ऑपरेशन से निकली बुलट की मीमो तथा उसका रपट में किया गय इन्द्राज की रपट जो मुझे प्राप्त हुई थी की नकल केस डायरी अंकित की। जो बुलट ऑपरेशन में निकली थी, उसे सील्ड हालत में आर.सी. रघुनंदन लेकर आये थे। दिनांक 02.05.2012 को वादी तेज सिंह का बयान लिया व पीड़िता का प्राप्त मेडीकल कागजात की नकल केस डायरी में अंकित की । पीड़िता विमलेश व साक्षी श्याम लाल, विजेन्द्र सिंह, जगवीर, जितेन्द्र सिंह के लिए बयान लिये व वादी को लेकर घटना स्थल पर जाकर वादी की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी बनाया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने नक्शा नजरी को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। साक्षी कमलेश, बच्चू सिंह, राजाराम, बच्चू, हीरो के बयान लिये व दिनांक 16.05.2012 को अभियुक्त गोपाल का हाजिरी रोबकार मुझे प्राप्त हुआ था, उसका खुलासा केस डायरी में किया। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया।

अभियोजन साक्षी संख्या 8 का0 क्लर्क त्रिभुवन सिंह ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.04.2012 को मैं बतौर कान्सटेबल क्लर्क 2108 थाना अछनेरा पर तैनात था तथा दिनांक 28.04.2012 को तेज सिंह पुत्र बुद्धीराम निवासी अछनेरा की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 317/12 अंतर्गत धारा 498ए, 307 भारतीय दण्ड संहिता की चिक किता की थी। चिक की असल प्रति पत्रावली पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। साक्षी ने चिक एफ. आई.आर. को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। उपरोक्त मुकदमे का खुलासा नकल रपट संख्या 37 समय 18.30 बजे दिनांक 28.04.2012 को असल के साथ एक ही प्रोसेस में तैयार की गयी थी जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। साक्षी ने नकल रपट को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 9 उपनिरीक्षक रक्षपाल सिंह ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.08.2012 को मैं थाना के अंतर्गत चौकी इंचार्ज किरावली नियुक्त था। इसी दिन इस मुकदमे की विवेचना दी गयी । पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन करने के उपरान्त अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है तथा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 के रूप में

साबित किया है।

अभियुक्त की ओर से बचाव में डी0डब्लू. 1 के रूप में गोपाल पुत्र महावीर सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे बड़े भाई रूप किशोर की शादी आज से करीब 12 वर्ष पहले ग्राम उंदेरा के रहने वाले तेज सिंह की बड़ी बेटी कमलेश के साथ हुई थी और उसी की छोटी बहन विमलेश के साथ मेरे भी ससुराल में फेरे डाल दिये गये थे। शादी के बाद मेरी पत्नी एवं मेरे भाई की पत्नी राजीखुशी हमारे साथ रह रही थीं। वह हर तीज त्यौहार पर तथा ब्याह शादियों में अपने मायके राजीखुशी आती जाती रहती थीं और हम दोनों भाई तथा हम घर वाले भी आते जाते रहते थे। मैंने, मेरे भाई तथा मेरे घर वालों ने अपनी पत्नियों तथा उनके घर वालों से दहेज तथा किसी अन्य सामान तथा रूपयों आदि की मांग नहीं की। इसी दौरान मेरे दो बेटियां जिसमें एक का नाम गोल्डी तथा दूसरी का नाम वसुन्धरा है, पैदा हुई। मेरे बड़े भाई रूप किशोर को भी दो लड़के व दो लड़कियां पैदा हुई। जिस दौरान मेरी पत्नी के साथ घटना हुई उस समय मैं एलएल.बी. प्रथम वर्ष का आगरा कॉलेज, आगरा का छात्र था और मैं पढ़ने के लिए अपने घर में लगभग साढ़े पॉच–छः बजे किरावली से बस द्वारा आगरा कॉलेज आता था। घटना वाले दिन भी मैं कॉलेज में पढ़ने आया था। मेरी पत्नी के साथ हुई घटना की सूचना तथा एस.आर. हॉस्पीटल, आगरा में इलाज हेतु भर्ती कराये जाने की जानकारी मेरे भाई रूप किशोर तथा गॉव वालों ने दी थी। इस सूचना पर मैं अपने घर वालों के पास एस.आर.हॉस्पीटल पहुंचा था। मेरी पत्नी का इलाज दिनांक 23.04.2012 से 29.04.2012 तक एस.आर. हॉस्पीटल, आगरा में चला था जिसके इलाज का खर्चा मैंने तथा मेरे घर वालों ने किया था। मेरी पत्नी को भर्ती कराने की तथा इलाज से संबंधित पर्चा तथा जॉच रिपोर्ट तथा बिल की मूल प्रतियां मेरे सामने पत्रावली पर मौजूद हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन रसीद नं0 39043एस.आर. मेडीकल इन्स्टीट्यूट, एडवांस रसीद तथा अन्य रसीदें धनराशि भुगतान के बावत मूल रूप में, ई.सी.जी., एक्सरे तथा अल्ट्रासाउण्ड आदि से संबंधित जांच की रसीदों तथा दवाइयों के भुगतान से संबंधित समस्त रसीदें मूल रूप में पत्रावली पर मौजूद हैं। मेरे मिलने वाले मदन मोहन, रिश्तेदार गीता व साहब सिंह द्वारा खून दिया गया था जिसकी रसीदें भी पत्रावली पर मौजूद हैं। मेरे तथा मेरे घर वालों ने मेरी पत्नी के इलाज में एक लाख रूपये से अधिक खर्च किया था। मेरे पत्नी को इलाज के लिए एस.आर. हॉस्पीटल में मेरे बडे भाई रूप किशोर ने भर्ती कराया था। घटना के समय मेरी पत्नी घर पर अकेली थी। मेरे घर वाले माता पिता एवं भाई रूप किशोर,

भाभी कमलेश तथा बच्चे गेहूॅ के खेत पर काम कर रहे थे। उनको घटना की सूचना गॉव वालों द्वारा खेत पर दी गयी तथा सूचना मिलने पर घर आये थे। इलाज के लिए जीप द्वारा भाई रूप किशोर आगरा लेकर आया था।

मैंने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) के उपरोक्त तर्को के प्रकाश में पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्त गोपाल पर धारा 498ए एवं 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है।

जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रश्न है, इस संबंध में धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में यह प्रावधानित किया गया है कि–

**धारा 498ए–किसी स्त्री के पति या पति के संबंधी द्वारा उसे निर्दयता का विषय बनाया जाना**– जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का संबंधी होकर उसे निर्दयता का पात्र बनाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक होगा और वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''निर्दयता'' का अर्थ है–

(क) कोई जानबूझकर आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जो सम्भाव्य रूप से उस स्त्री को आत्महत्या करने की ओर ले जाता है अथवा उस स्त्री को उसके प्राण, अंग अथवा स्वास्थ्य को (चाहे मानसिक या शारीरिक) घोर उपहति या संकट कारित करता है, अथवा

(ख) स्त्री को क्षुब्ध करना जहॉ ऐसा क्षुब्ध किया जाना उस स्त्री अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस दृष्टि से बल प्रयोग करना है जो किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी अवैध मॉग की पूर्ति के लिए है अथवा उस स्त्री या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मॉग पूर्ति की असफलता के कारण है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अभियुक्त गोपाल द्वारा धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया गया है अथवा नहीं।

वादी मुकदमा तेज सिंह द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में अंकित किया गया है कि मैंने अपनी पुत्रियों कमलेश एवं विमलेश का विवाह आठ वर्ष पूर्व रूप किशोर एवं गोपाल पुत्रगण महावीर निवासी पुरामना थाना अछनेरा के साथ सम्पन्न किया था तथा शादी ममें करीब 6 लाख रूपया खर्च किया था लेकिन उसकी पुत्रियों के ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे और बात–बात पर मारते पीटते थे व दहेज में

दो भैंस व पचास हजार रूपये लाने के लिए मेरी लड़कियों के साथ मारपीट करते थे।

वादी मुकदमा तेज सिंह द्वारा अपनी लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मेरे तीन पुत्रियां हैं,उनमें से दो पुत्रियां कमलेश एवं विमलेश का रूपकिशोर एवं गोपाल के साथ विवाह हुआ है। जब मेरी पुत्रियां कमलेश एवं विमलेश ससुराल गयी तो उनके ससुरालीजन विमलेश का पति गोपाल एवं कमलेश का पति रूप किशोर, लडकियों के ससुर महावीर सिंह एवं सास चन्द्रवती मेरी पुत्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और अतिरिक्त दहेज के रूप में एक भैंस व पचास हजार रूपये की मांग करते हैं। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथन का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है।

जहां तक वादी मुकदमा की लिखित तहरीर व मुख्य परीक्षा में किये गये कथन में विरोधाभास है इस संबंध में वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में दो भैंस व 50 हजार रूपये अतिरिक्त दहेज के रूप में मांगे जाने के संबंध में कथन किया गया है। जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में एक भैंस व 50 हजार रूपये मांग करने की बात कही है। इस संबंध में वादी मुकदमा द्वारा प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 3 पर कथन किया गया है कि यह सही है कि मेरी तहरीर में दो भैंसा वाली बात लिखवाई है, उनमें से एक भैंस दे दी है। मेरी तहरीर में जो लिखा है तथा बयान में जो बता रहा हूॅ, यह दोनों बातें सही है, एक भैंस देने वाली बात मैंने तहरीर में में नहीं लिखी है। उपरोक्त तथ्यों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी संख्या 3 श्रीमती कमलेश ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 6 पर कथन किया है कि इस घटना से पहले मेरे पिताजी ने ससुरालीजनों को एक भैंस दी थी। मेरे छोटा बेटे पैदा होने के बाद यह भैंस दी थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में विरोधाभास का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 1 तेज सिंह वादी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे यह भी कथन किया है कि रूप किशोर भी अपनी पत्नी को मारता पीटता था तथा दहेज की मांग करता था। रूप किशोर व पूरा परिवार दहेज की मांग करता था जिनमें रूप किशोर, गोपाल, चन्द्रवती व महावीर थे। रूप किशोर के नाम मैंने रिपोर्ट नहीं की है। लड़की ने बताया था कि गोली गोपाल ने मारी है और सास व ससुर ने आदेश दिया था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि मेरी लड़कियों के ससुर ने मुझसे

भी दहेज मांगा था। बाकी मुल्जिमानों ने मुझसे सीधे दहेज की मांग नहीं की थी, लड ़कियों से मांग करते थे। मेरे सामने मेरी छोटी विमलेश को गोली नहीं मारी। मुझे जो बताया था वही मैंने अपनी तहरीर में लिखाया है। इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि लड़कियों के ससुर ने वादी से दहेज की मांग की थी एवं शेष परिवार वाले लड़कियों से दहेज की मांग करते थे। अभियुक्त द्वारा उसके सामने नहीं मारी गयी थी, जो बात उसकी लड़कियों ने बताया था, वही तहरीर में लिखा दिया था। अतः सिद्ध है कि इस साक्षी ने गोली मारने की घटना को स्वयं नहीं देखा है, जो बातें इसकी लड़की ने बताया था, वही बातें तहरीर में लिखा दिया है।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 2 श्रीमती विमलेश पीड़िता ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि शादी के बाद मेरी ससुराल में पति गोपाल, ससुर महावीर, सास चन्द्रवती, जेठ रूप किशोर सही नहीं रखते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे और कहते थे कि दो भैंस नहीं लाई है और पचास हजार रूपये नहीं लाई है और इसी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मेरे व मेरी बहन के साथ मारपीट करते थे और मैं जब मायके जाती थी, तब मैं अपने मॉ बाप को ससुरालीजन द्वारा किये जा रहे, दहेज की मांग के बारे में बताया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि मेरे सास ससुर ठीक हैं तथा कभी भी हमारे साथ मारपीट नहीं की है और न ही मेरी बड़ी बहन कमलेश को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया है। यह बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था।

अभियोजन साक्षी संख्या 3 श्रीमती कमलेश ने भी अभियोजन साक्षी संख्या 1 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 2 के साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है कि शादी के बाद ससुराल में उपरोक्त लोग मुझे व मेरी बहन विमलेश को तंग व परेशान करते थे, हम दोनों बहनों के साथ मारपीट करते थे और अतिरिक्त दहेज में 50 हजार रूपये व भैंस लाने की मॉग करते थे। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 6 पर कथन किया है कि इस घटना से पहले मेरे पिताजी ने ससुरालीजनों को एक भैंस दी थी। मेरे छोटा बेटे पैदा होने के बाद यह भैंस दी थी।

अभियोजन साक्षी संख्या 4 प्रवेन्द्र ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन साक्षी संख्या 1, अभियोजन साक्षी संख्या 2 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 3 के कथनों का समर्थन करते हुए सशपथ कथन किया है कि दोनों बहनों की शादी में मेरे पिताजी ने करीब पांच–लाख रूपये खर्च किये थे। मेरी बहन अपनी ससुराल में रहीं

तो उनके ससुरालीजन रूप किशोर, गोपाल, ससुर महावीर एवं सास चन्द्रवती देवी खुश नहीं थीं। उक्त ससुरालीजन मेरी बहनों के साथ मारपीट करते थे और कहते थे कि पचास हजार रूपये लाओ तथा दोनों भाईयों के लिए दो भैंस दो। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पूरी शादी में कोई लेनदेन तय नहीं था। पॉच–छः लाख की शादी तय हुई थी। शादी में सामान तय नहीं हुआ था, हमने अपनी मर्जी से दिया था। उस सामान की सूची नहीं बताई थी। जो सामान शादी में दिया था और जिस प्रकार शादी की थी उससे गोपाल जाट व रूपकिशोर तथा उसक परिवार वाले पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि मुझसे मेरी बहन के ससुराल वालों ने सीधे दहेज की मांग की थी। जब मैं अपनी बड ़ी बहन के पुत्र के पछ के आयोजन में पछ लेकर गया था, उस समय मुझसे दहेज की मांग की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत 4 से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास आना प्रकट होता है। सूक्ष्म विरोधाभास के आधार पर उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। साक्षीगण की साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास का कोई लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत अभियोजन साक्षी संख्या 4 परस्पर हितवद्ध साक्षी हैं अतः उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या 1 तेज सिंह वादी मुकदमा, पीड़िता का पिता है, अभियोजन साक्षी संख्या 2 श्रीमती विमलेश स्वयं पीड़िता है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 श्रीमती कमलेश, विमलेश की बहन है तथा उसकी शादी भी विमलेश के जेठ रूप किशोर के साथ हुई थी तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 से भी अभियुक्त एवं उसके परिवारीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 4 भी पीड़िता श्रीमती विमलेश का भाई है। चूंकि अभियोजन साक्षी संख्या 2 एवं 3 पीड़िता हैं तथा अन्य साक्षीगण उनके परिवारीजन हैं जिनको कि पीडिता एवं उसकी बहन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग के बारे में बताया गया है तथा इस संबंध में वादी मुकदमा द्वारा अपनी लिखित तहरीर एवं साक्ष्य में कथन किया है कि इस संबंध में पंचायत भी की गयी थी तथा उसके

बावजूद भी उनकी पुत्रियों को दहेज हेतु तंग व परेशान किया गया है अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में कोई शहरी व्यक्ति अथवा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति मुकदमे में साक्ष्य देने से डरता है क्योंकि उसे रंजिश होने का भय सताता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत अभियोजन साक्षी संख्या 4 की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अंतर विरोधाभासी कथन है जिससे अभियोजन कथानक ही संदेहास्पद हो जाता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क बलहीन है क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्णरूपेण समर्थन किया है। साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिनके साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास आना संभव है। यदि साक्षीगण की साक्ष्य में कोई सूक्ष्म विरोधाभास है तो उसका कोई लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 1 तेज सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 2 श्रीमती विमलेश पीड़िता/चुटैल, अभियोजन साक्षी संख्या 3 श्रीमती कमलेश व अभियोजन साक्षी संख्या 4 द्वारा अभियोजन का समर्थन किया गया है तथा उनकी साक्ष्य से यह साबित है कि श्रीमती विमलेश एवं श्रीमती कमलेश के विवाह के उपरान्त से अभियुक्त गोपाल व उसके परिवारीजनों द्वारा श्रीमती विमलेश एवं श्रीमती कमलेश से अतिरिक्त दहेज में दो भैंस एवं पचास हजार रूपये की मॉग की गयी तथा उसकी पूर्ति न होने पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया गया।

उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त गोपाल एवं उसके परिवारीजनों द्वारा श्रीमती विमलेश एवं श्रीमती कमलेश से उनकी शादी के उपरान्त अतिरिक्त दहेज में दो भैंस एवं पचास हजार रूपये की मांग की गयी और उसकी पूर्ति न होने पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया गया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन, अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा0द0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है और अभियुक्त गोपाल आरोप अंतर्गत धारा 498ए भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का भी आरोप विरचित किया गया है।

इस संबंध में पुनः पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

वादी मुकदमा तेज सिंह ने अपनी लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में यह अंकित किया है कि दिनांक 23.04.2012 को उसकी छोटी लड़की विमलेश जब रसोई में चाय बना रही थी तो उसके पति व सास–ससुर ने दहेज में उक्त सामान (भैंस एवं पचास हजार रूपये) लाने के लिए दोबारा से ताने देने लेगे जिसने मारपीट का रूप ले लिया। सास चन्द्रवती व ससुर महावीर ने कहा कि आज तेरा किस्सा खत्म किये देते हैं। हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे और उसकी बेटी विमलेश को उसका पति गोपाल मारने पीटने लगा और जब उसकी बेटी जान बचाकर भागी तो गोपाल ने कट्टे से गोली मार दी। जैसे ही उसे खबर मिली तो मैं वह अपनी पुत्री को गम्भीर हालत में एस.आर. अस्पताल, आगरा इलाज के लिए लाया जिसका अभी भी इलाज अस्पताल में हो रहा है व हालत गम्भीर है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादी मुकदमा तेज सिंह ने अपनी लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 का समर्थन करते हुए सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.4.2012 की बात है विमलेश अपनी ससुराल में रसोई में चाय बना रही थी तो उसके पति ने उससे कहा कि तू अपने मायके से रूपये एवं भैंस नहीं लायेगी और मारपीट शुरू कर दी और उसके ससुर ने कहा कि इसका किस्सा खत्म कर दे तेरी दूसरी शादी कर देंगे। गोपाल ने मेरी लडकी विमलेश को अपने पिता महावीर एवं मॉ चन्द्रवती के कहने पर तमन्चे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। फायर मेरी लडकी की पीठ पर लगा जिसके कारण उसके चोटें आयीं। मेरे पास फोन आया तो मैं मौके पर गया। मौके पर बहुत से आदमी मौजू थे तभी मैं अपनी लड़की को एस.आर.हॉस्पीटल आगरा लेकर आया तथा उसका इलाज कराया। उसका जिला अस्पताल, आगरा में डाक्टरी मुआयना कराया। मैंने इस घटना की रिपोर्ट थाना अछनेरा पर कराई थी। इस साक्षी ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–1 को साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि रूप किशोर भी अपनी पत्नी को मारता पीटता था तथा दहेज की मांग करता था। रूप किशोर व पूरा परिवार दहेज की मांग करता था जिनमें रूप किशोर, गोपाल, चन्द्रवती व महावीर थे। रूप किशोर के नाम मैंने रिपोर्ट नहीं की है। लड़की ने बताया था कि गोली गोपाल ने मारी है और सास व ससुर ने आदेश दिया था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि मेरी लड़कियों के ससुर ने मुझसे भी दहेज मांगा था। बाकी मुल्जिमानों ने मुझसे सीधे दहेज की मांग नहीं की थी, लड़कियों से मांग करते थे। मेरे सामने मेरी छोटी विमलेश को गोली नहीं मारी। मुझे जो बताया

था वही मैंने अपनी तहरीर में लिखाया है। इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि लड़कियों के ससुर ने वादी से दहेज की मांग की थी एवं शेष परिवार वाले लड़कियों से दहेज की मांग करते थे। अभियुक्त द्वारा उसके सामने गोली नहीं मारी गयी थी, जो बात उसकी लड़कियों ने बताया था, वही तहरीर में लिखा दिया था। अतः सिद्व है कि इस साक्षी ने गोली मारने की घटना को स्वयं नहीं देखा है, जो बातें इसकी लड़की ने बताया था, वही बातें तहरीर में लिखा दिया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 2 श्रीमती विमलेश जो कि इस प्रकरण में पीड़िता/ चुटैल है, ने अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादी मुकदमा की साक्ष्य का समर्थन करते हुए अपने साक्ष्य दिनांकित 9.11.2012 की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि 6 माह पहले की बात है। मैं अपनी ससुराल में रसोई में चाय बना रही थी तब गोपाल, महावीर, चन्द्रवती व रूप किशोर मुझसे लड़ने लगे और कहने लगे कि भैंस ला और 50 हजार रूपये ला और ये लोग मारपीट करने लगे। गोपाल रसोई से मुझे मारपीट करते हुए बाहर ले आये और सास ससुर ने कहा कि यह इस तरह नहीं मानेगी, हम तेरा दूसरा ब्याह कर देंगे। मैं भागी तभी गोपाल ने तमन्चे से फायर कर दिया। फायर मेरी पीठ में लगा और मैं गिर गयी और बेहोश हो गयी। मुझे जब होश आया तब मैं एसस.आर. अस्पताल में भर्ती थी । मेरे पिताजी, मॉ व भाई मेरा इलाज करा रहे थे। होश आने पर मैंने अपने पिताजी, मॉ एवं भाई को बताया था जिसकी रिपोर्ट मेरे पिताजी ने थाना अछनेरा में कराई थी। मैं इस समय अपने मायके में रह रही हूँ। इस घटना में मेरे चोटें आयीं थीं। चोटों का मुआयना जिला अस्पताल, आगरा में हुआ था व इलाज एस.आर. हॉस्पीटल आगरा में चला था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी पूर्ण रूपेण अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि मेरे सास ससुर ठीक हैं तथा कभी भी हमारे साथ मारपीट नहीं की है और न ही मेरी बड़ी बहन कमलेश को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया है। यह बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था।

अभियोजन साक्षी संख्या 3 श्रीमती कमलेश जो कि पीड़िता की बड़ी बहन है तथा गोपाल के बड़े भाई रूप किशोर की पत्नी है तथा घटना के समय ससुराल में ही निवास करती थी, ने अपने साक्ष्य दिनांकित 09.01.2013 में अभियोजन साक्षी संख्या 1 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 2 के कथनों का समर्थन करते हुए सशपथ कथन किया है कि करीब आठ महीने पहले की बात है मेरी छोटी बहन विमलेश

रसोई में चाय बना रही थी। मैं उस समय बाथरूम में थी। गोपाल विमलेश के साथ मारपीट करने लगा। गोपाल मेरी छोटी बहन विमलेश के साथ इसलिए मारपीट करने लगा कि अपने मायके से रूपये लेकर आ और भैंस लेकर आ। बाथरूम का दरवाजा खुला था। मैं वहीं से देख रही थी। सास ससुर गोपाल से कहने लगे कि तू इसका किस्सा खत्म कर दे हम तेरा दूसरा ब्याह करा देंगे। विमलेश पिटती हुई भागी तो गोपाल ने विमलेश को गोली मार दी। मौके पर गॉव के बहुत से लोग आ गये थे। गॉव के किसी व्यक्ति ने मेरे पिताजी को फोन कर दिया था। हमारी ससुराल में आ गये थे। पिताजी विमलेश को अस्पताल के लिए ले गये थे। मैं ससुराल में उस समय रह रही थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं घटना के समय बाथरूम में थी, दरवाजा खुला था और पूरी घटना मैंने बाथरूम से देखी है।

अभियोजन साक्षी संख्या 4 प्रवेन्द्र ने भी अभियोजन साक्षी संख्या 1 ता 3 के कथन का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है कि दिनांक 24.04.2012 के सुबह 8.00 बजे अजखुद कहा कि दिनांक 23.04.2012 के सुबह 8.00 बजे की है। हम घर पर थे। फोन आया कि तुम्हारी छोटी लड़की को किसी ने गोली मार दी है। इस सूचना पर मैं, मेरे पिताजी एवं अन्य परिवारीजन बहन की ससुराल गये। वहॉ लड़की विमलेश को लहुलुहान हालत में देखा। वहॉ से एक जीप की और रूपकिशोर को साथ लेकर एसस.आर.हॉस्पीटल, आगरा में भर्ती कराया। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पूरी शादी में कोई लेनदेन तय नहीं था। पॉच–छः लाख की शादी तय हुई थी। शादी में सामान तय नहीं हुआ था, हमने अपनी मर्जी से दिया था। उस सामान की सूची नहीं बताई थी। जो सामान शादी में दिया था और जिस प्रकार शादी की थी उससे गोपाल जाट व रूपकिशोर तथा उसक परिवार वाले पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि मुझसे मेरी बहन के ससुराल वालों ने सीधे दहेज की मांग की थी। जब मैं अपनी बड़ी बहन के पुत्र के पछ के आयोजन में पछ लेकर गया था, उस समय मुझसे दहेज की मांग की गयी थी।

उपरोक्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत अभियोजन साक्षी संख्या 4 से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है जिसमें सूक्ष्म विरोधाभास आना प्रतीत होता है। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णरूप से समर्थन किया तथा उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है।

अभियोजन साक्षी संख्या 5 डा0 एस.एन.गुप्ता ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा

में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.04.2012 को मैं एसस.आर. हॉस्पीटल नामनेर पर मेडिकोलीगल कार्य हेतु नियुक्त था। उस दिन मैंने दोपहर 1.20 बजे श्रीमती विमलेश, 25 वर्ष पत्नी गोपाल निवासी पुरामना किरावली थाना अछनेरा, आगरा के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया। इनको लेकर रूप सिंह पुत्र महावीर सिंह लाये थे। चुटैल के शरीर पर निम्न चोटें पाई गयी थीः–

1. फटा हुआ घाव 3 से.मी. X 2 से.मी. सीधे कंधे पर बाहर की तरफ किनारे अंदर की तरफ धंसे हुए थे। झुलसन मौजूद थी। खून बह रहा था। घाव के चारों तरफ 25 से.मी. X 10 से.मी. एरिया में भी गन पाउडर के निशान थे। गोली के घुसने से आई चोट की संभावना पर एक्सरे की सलाह दी गयी।

मरीज को एस.आर. हॉस्पीटल में भर्ती किया गया। हालत गम्भीर थी। मरीज होश में था। मरीज का रक्त चाप 110/80, नाड़ी 110 प्रति सेकेण्ड थी। पुलिस को मृत्यु पूर्व बयान लेने की सलाह दी। चोट को निगरानी में रखा गया, चोट ताजा थी तथा किसी आग्नेयास्त्र से आना संभव थी। उपरोक्त रिपोर्ट वरवक्त मुआयना तैयार की गयी जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा इस पर चुटैल का निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या की छाया प्रति जो मेरे द्वारा तैयार की गयी, असल रिपोर्ट से करायी गयी है। मैं मेडिकोलीगल रजिस्टर अपने साथ लाया हूँ जो उसके अनुसार सही है। साक्षी ने चिकित्सीय रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह साबित है कि घटना वाले दिन चुटैल विमलेश के पीठ पर आग्नेयास्त्र की चोट थी जिसका उपचार एस.आर. हॉस्पीटल में किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि स्कैपुलर जिस्म में कोई आरटरी, ब्रेन, नर्व इन्जर्ड नहीं हुई हो, तो यह चोट घातक नहीं होगी जिससे यह साबित होता है कि चुटैल को जो आग्नेयास्त्र की चोट पाई गयी है वह घातक प्रकृति की नहीं है। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है किन्तु कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 6 डा0 ओ.पी.बंसल जिनके द्वारा चुटैल/पीड़िता श्रीमती विमलेश का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं एसस.आर. मेडीकल रिसर्च सेण्टर, नामनेर आगरा में कन्सल्टेन्ट सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। मरीज विमलेश दिनांक 23.04.2012 को सवा 12बजे दोपहर भर्ती हुई थी। मेरी देखरेख में इस मरीज का उपचार हुआ था। मरीज का चिकित्सीय परीक्षण डा0 एस.एन.गुप्ता द्वारा किया गया था। मेरे द्वारा विमलेश का

दिनांक 23.04.2012 को 2 बजे दिन ऑपरेशन किया गया था व ऑपरेशन करते वक्त मरीज के राइट अपर चेस्ट से एक फोरेन बॉडी (मैटेलिक) निकाली व इसका इलाज किया गया तथा दिनांक 30.04.2012 को दिन 2 बजे संतोषजनक स्थिति में छुट्टी दी गयी। पीड़िता विमलेश के अस्पताल में भर्ती होने से ही उसकी बी.एच.टी. तैयार की गयी थी जो उसकी छुट्टी होने तक की है। मैं उसे अपने साथ लाया हूँ जो पत्रावली पर दाखिल है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। विमलेश के ऑपरेशन के दौरान मेरे द्वारा फोरेन बॉडी (मैटेलिक) निकाली गयी। माल बण्डल खोला गया जिसमें एक कॉच की शीशी के अंदर से एक मैटेलिक फोरेन बॉडी निकली। यह वही  फोरेन बॉडी (मैटेलिक ) निकली है जो विमलेश के ऑपरेशन करते वक्त उसके शरीर से निकाली थी और इस फोरेन बॉडी (मैटेलिक) को किसी कॉच की शीशी में रखकर कपड़े में सिलवाकर सर्वे मोहर करवाया था। यह काम मैंने अपने असिसटेण्ट जे.के. सिंह से कराया था, उस पर मेरे असिसटेण्ट ने अपने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने फोरेन बॉडी (मैटेलिक) को वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में , शीशी को वस्तु प्रदर्श–2 एवं माल बण्डल कपड़े को वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में साबित किया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह साबित है कि घटना वाले दिन चुटैल विमलेश के पीठ पर आग्नेयास्त्र की चोट थी जिसका उपचार एस.आर. हॉस्पीटल में किया गया है तथा चुटैल श्रीमती विमलेश की पीठ पर आग्नेयास्त्र की चोट थी तथा चुटैल का ऑपरेशन कर गोली निकाली गयी है।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह चोट सीधे कन्धे पर थी। मेरे द्वारा ऑपरेशन करते समय कोई बड़ी (मेजर) आरटरी, नर्व या लंग टिश्यू, वेन, नाड़ी क्षतिग्रस्त नहीं मिली। इस चोट से मृत्यु होना संभव नहीं था। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 5 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 6 के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि चुटैल को आयी चोट प्राणघातक नहीं थी तथा इस चोट से मृत्यु होना संभव नहीं था।

उपरोक्त दोनों चिकित्सक साक्षीगण द्वारा चुटैल श्रीमती विमलेश के शरीर पर आयी आग्नेयास्त्र की चोट का समर्थन किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

चुटैल श्रीमती विमलेश की चोट के संबंध में चुटैल की चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों की राय के आधार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सकों द्वारा चुटैल श्रीमती विमलेश के आयी चोट गम्भीर प्रकृति की नहीं है और न ही प्राणघातक है। इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा निम्न न्याय निर्णयन प्रस्तुत किये गये हैं–

1. **1991(28) ए.सी.सी.47 अशर्फी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि आग्नेयास्त्र (Fire Arms) की चोट को प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जीवन के लिए प्राणघातक नहीं पाया गया और न ही चोट गम्भीर प्रकृति की पायी गयी। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को धारा 4 प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर अवमुक्त करने का आदेश पारित किया गया।

2. **1997(34) एच.सी.सी. 68 जसवन्त सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि चुटैल के शरीर पर आग्नेयास्त्र से पहुँचाई गयी चोट के आकार एवं प्रकार जो बुलट इन्जरी बतायी गयी थी, को चिकित्सक ने किसी भी रूप में घातक नहीं बताया था। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य से भी मात्र चोट पहुँचाने का आशय दृष्टिगोचर हो रहा था, न कि जान से मारने का इसी आधार पर धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता से धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त को कारागार में बिताई गयी अवधि से दण्डित करने के आदेश पारित किये गये।

3. **1988 एस.सी.सी.(काइम) 131 (सुप्रीम कोर्ट) वेदपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि चुटैल के कन्धे व ऑख की भौंह पर आयी आग्नेयास्त्र की चोटों को चिकित्सक द्वारा प्राणघातक न बताये जाने पर अपराध को धारा 307 भा0दं0सं0 से धारा 324 भा0दं0सं0 में मानते हुए एक वर्ष की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

4. इसी प्रकार **ए.आई.आर. 1965(सुप्रीम कोर्ट) 834 सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य में** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि चुटैल शरीर के मार्मिक हिस्से पर चोट थी परन्तु कोई भी मार्मिक अंग किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं हुआ था तथा अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने का आशय एवं घटना के संबंध में ज्ञान होने संबंधी साक्ष्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहॉ धारा 307 भा0दं0सं0 के स्थान पर अभियुक्त को धारा 324 भा0दं0सं0 में दण्डित करने का आदेश पारित किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चुटैल के आयी चोटों के संबंध में चिकित्सक की राय एवं माननीय सर्वोच्च

न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भा0दं0सं0 का कोई अपराध नहीं बनता है।

बचाव पक्ष के उपरोक्त न्याय निर्णयों के विपरीत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन प्रस्तुत किये गये हैं–

1. **2009 (64) ए.सी.सी. 910(सुप्रीम कोर्ट) मध्य प्रदेश राज्य बनाम काशीराम एवं अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि– यह आवश्यक नहीं है कि चुटैल को आयी चोटें प्राणघातक हो। न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या चोटें दुराशय व ज्ञान से तथा धारा 307 भा0दं0सं0 में वर्णित परिस्थितियों में पहुंचायी गयी हैं, तो अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है कि पीड़िता को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है।

2. **2006 (8) ए.सी.सी.799 (सुप्रीम कोर्ट) विपिन बिहारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 307 भा0दं0सं0 के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि चुटैल को आयी चोटें मृत्यु कारित किये जाने हेतु पर्याप्त हो। अभियोजन को मात्र यह तथ्य साबित करना चाहिए कि अभियुक्त को उक्त अपराध कारित करने का आशय या ज्ञान था। इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न आशय या ज्ञान है न कि चोट की प्रकृति।

3. **2006 ए.आई.आर. 24 सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण सिंह बनाम हरियाणा राज्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 307 भा0दं0सं0 के मामले में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुटैल को आयी हुई चोटें प्राणघातक है या नहीं। बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उक्त चोटें पहुंचाने में आशय व ज्ञान था या नहीं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तों के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होती हैं। उक्त विधि व्यवस्थाओं का कोई लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थायें पूर्णरूप से इस प्रकरण में लागू होती है।

चूंकि अभियोजन साक्षी संख्या 5 डा0 एस.एन. गुप्ता एवं अभियोजन साक्षी संख्या 6 डा0 ओ.पी.बंसल द्वारा चुटैल श्रीमती विमलेश के शरीर पर आयी आग्नेयास्त्र की चोट का समर्थन किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत अभियोजन साक्षी

संख्या 4 के कथनों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या 7 उपनिरीक्षक सीताराम सरोज ने अपने सशपथ साक्ष्य में घटना की विवेचना किये जाने के संबंध में साक्ष्य देते हुए वादी मुकदमा की निशांदेही पर नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 अपने लेख व हस्ताक्षर में होने के संबंध में साक्ष्य दिया है तथा समाई साक्ष्य अंकित किये जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी से अभियुक्त की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है। इस साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में काफी विरोधभास प्रतीत होता है। इस साक्षी की साक्ष्य से विदित होता है कि इस साक्षी ने अभियुक्त को लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से साक्ष्य दिया है। अतः इस साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त को कोई लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अभियोजन साक्षी संख्या 8 का0 क्लर्क त्रिभुवन सिंह औपचारिक साक्षी है तथा इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य द्वारा चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–5 एवं नकल जी.डी. प्रदर्श क–6 को साबित किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 9 उपनिरीक्षक रक्षपाल नाथ द्वारा इस प्रकरण की आंशिक विवेचना की गयी है तथा गोपाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है तथा आरोप पत्र प्रदर्श क–7 को साबित किया है। यह साक्षी भी औपचारिक साक्षी है।

पत्रावली पर उपलब्ध श्रीमती विमलेश के एस.आर. मेडीकल इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सैण्टर, लॉरीज कॉम्पलैक्स, नामनेर, आगरा द्वारा निर्गत इनडोर बैड हैड टिकिट प्रदर्श क–3 के अवलोकन से भी विदित है कि चुटैल श्रीमती विमलेश दिनांक 23.4.2012 को समय 12.15 बजे दोपहर भर्ती हुई है तथा उसे अस्पताल से दिनांक 30.04.2012 को डिस्चार्ज किया गया है।

इसी प्रकार पत्रावली एस.आर. मेडीकल इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सैण्टर, नामनेर, आगरा द्वारा दिनांक 23.04.2012 को पुलिस को सूचना देने संबंधी प्रपत्र की छाया प्रति दाखिल की गयी है जिसमें थानाध्यक्ष, रकाबगंज, आगरा को उसी दिन श्रीमती विमलेश को गोली लगने के कारण गम्भीर अवस्था में इलाज हेतु भर्ती कराये जाने के संबंध में सूचना दी गयी है तथा चुटैल श्रीमती विमलेश के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उपचार संबंधी प्रपत्र भी दाखिल किये गये हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध धारा 307 भा0द0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का

आरोप प्रत्येक संभावना से परे साबित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई हेतुक नहीं बताया गया है जिसके कारण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता क्योंकि वादी तेज सिंह द्वारा सर्वप्रथम लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 ं यह अंकित किया है कि उसकी पुत्रियों विमलेश एवं कमलेश के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में भैंस एवं पचास हजार रूपये की मांग करते थे तथा उसकी पूर्ति न होने पर उसकी दोनों पुत्रियों को उनके ससुरालीजन मारते पीटते थे तथा इसी क्रम में दिनांक 23.4.2012 को उसकी छोटी पुत्री को पुनः दहेज की मांग करते हुए मारपीट की गयी तथा उसके पति गोपाल ने कट्टे से फायर कर गम्भीर उपहति कारित की गयी। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय में परीक्षित होते हुए अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में लिखित तहरीर के कथनों की पुष्टि की गयी है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में हेतुक (मोटिव) स्पष्ट रूप से बताया गया है।

अभियुक्त गोपाल की ओर से बचाव में डी0डब्लू0 1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि जिस दौरान मेरी पत्नी के साथ घटना हुई उस समय मैं एलएल.बी. प्रथम वर्ष का आगरा कॉलेज, आगरा का छात्र था और मैं पढ़ने के लिए अपने घर में लगभग साढ़े पॉच–छः बजे किरावली से बस द्वारा आगरा कॉलेज आता था। घटना वाले दिन भी मैं कॉलेज में पढ़ने आया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि घटना वाले दिन मैं आगरा कॉलेज में था। इस संबंध में मैंने कोई भी उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं अन्य कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया। इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि वह घटना वाले दिन घटना स्थल पर उपस्थित न हो। अभियुक्त की ओर से आगरा कॉलेज में घटना वाले दिन उपस्थित होने के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से यह सिद्ध है कि अभियुक्त गोपाल घटना वाले दिन घटना स्थल पर मौजूद था तथा उसके द्वारा ही यह घटना कारित किया जाना प्रतीत होता है।

उल्लेखनीय है कि यह साक्षी स्वयं ही अभियुक्त है तथा उसके द्वारा स्वयं ही बचाव में साक्ष्य दिया गया है। अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत प्रकरण में बचाव

में परीक्षित नहीं कराया गया है अतः यह साक्षी हितवद्ध साक्षी है। इस साक्षी की साक्ष्य के सम्पूर्ण अवलोकन से यह विदित है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहीं यह नहीं बताया है कि चुटैल श्रीमती विमलेश को किन परिस्थितियों में आग्नेयास्त्र की चोटें आयीं हैं। इस साक्षी की साक्ष्य के आधार यह साबित नहीं है कि अभियुक्त गोपाल द्वारा अपनी पत्नी को आग्नेयास्त्र की चोट न पहुंचाई गयी हो। अतः इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा बचाव साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से यह सिद्ध है कि दिनांक 23.04.2012 को अभियुक्त गोपाल द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती विमलेश से अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न होने पर उसे कट्टे से फायर कर गम्भीर उपहति कारित की गयी। अभियोजन, अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त गोपाल धारा 307 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

अभियुक्त गोपाल को धारा 498ए एवं 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त गोपाल जिला कारागार में निरूद्ध है और न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

(प्रभाकर राव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं012, आगरा

दिनांकः 30.08.015

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी के प्राइवेट विद्वान अधिवक्ता को सुना ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त 26 वर्षीय नवयुवक है तथा एलएल.बी का छात्र है। इस प्रकरण में चार वर्ष से अधिक से कारागार में निरूद्ध है। उसके दो पुत्रियां हैं जो उसके वृद्ध माता पिता के पास है तथा एक अविवाहित बहन है। बड़ा भाई नशा उन्मुक्ति केन्द्र में भर्ती है तथा उसके चार बच्चे भी हैं तथा वह भी वृद्ध माता पिता के पास ही हैं जिनकी देखभाल करने वाला उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित

किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के प्राइवेट विद्वान अधिवक्ता ने दण्ड के प्रश्न पर कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के साथ घटना कारित की है जिससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त गोपाल को उक्त मामले में अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अभियुक्त गोपाल को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास एवं मु0–1,000/–(एक हजार)रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पन्द्रह दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषी पाते हुए 4 वर्ष 6 माह के कारावास एवं 5000/–(पॉच हजार)रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोनों सजायें साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्त इस प्रकरण में कारागार में निरूद्ध है। अतः उसके द्वारा कारागार में बिताई गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति अभियुक्तको निशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये।

ह0

(प्रभाकर राव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0 12,आगरा

दिनांकः 30.08.2016

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया ।

ह0

(प्रभाकर राव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं012, आगरा

दिनांकः 30.08.2015